पत्रावली पेश हुई। पार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम डण्डाली के ख.नं. 81 रकबा 193-10 बीघा भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 435, 436, 437, 956/436 कुल रकबा 31.32 है कायम हुये हैं। पूर्व उक्त सम्पूर्ण आराजीयत एक ही चक में थी। उक्त भूमि के सह खातेदारो ने आपसी सहमति से मौके पर कब्जे कास्त के अनुसार बंटवारा कर लिया तथा अलग-अलग काबिज हो गये। आपसी बंटवारे में अपने-अपने हक हिस्से तक आने जाने के लिए रास्ता रखते हुये बंटवारा किया ख.नं. 388, 390 खातेदारी में होने की वजह से दक्षिणी रास्ते से उत्तरी तरफ ख.नं. 388 तक शामलाती रास्ता रखा गया ख.नं. 388, 390 के पूर्वी सीमा पर रास्ता नहीं था न ही वर्तमान रास्ता है लेकिन बिना किसी आधार के ख.नं. 388, 390 के पूर्वी तरफ ख.नं. 1072/387 रकबा 0.07 हैक्टयर कायम करते हुऐ रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जबकि मौके पर उक्त भूमि ख.नं. 388, 390 में शामिल है जो कास्त कर रखी है भूमि रास्ते के उपयोग में नहीं आ रही है। प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर ख.नं. 1072/387 [redacted] 0.07 हैक्टयर गै.मु. रास्ता के स्थान पर किस्म पूर्व [redacted] रिकार्ड के मुताबिक तृतीय बारानी दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी के जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर जवाब पेश किया है कि विवादित भूमि नवसृजित राजस्व ग्राम लाम्बीडेरी की है तथा भू-प्रबन्ध से पूर्व ख.नं. 81 एक ही चक में स्थित था। खातेदार मोहनराम के बेट व हक हिस्से में ख.नं. 383, 388, 389, 390, 1072/387 की भूमि खातेदारी में दर्ज हुई है जिसमें ख.नं. 1072/387 की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज कर दिया जबकि भू-प्रबन्ध के समय रास्ता दर्ज नहीं था। प्रार्थी के कथनानुसार उक्त रास्ते को दुरुस्त किया जाता है तो अप्रार्थी को आपत्ति नहीं है ना ही इसमें कोई जनहित प्रभावित हो रहा है। तत्पश्चात मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार गत नक्शा ट्रेस में गत ख.नं. 81 एक ही चक में दर्शित है जमाबन्दी सम्वत 2039-42 के अनुसार ग्राम डण्डाली के ख.नं. 81 रकबा 193-10 बीघा भूमि शेडाराम, खेताराम, डूंगाराम, मोहनराम, बीदूराम प्रत्येक की खातेदारी में 38-19 बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड है। तत्पश्चात उक्त भूमि का भू-प्रबन्ध

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो की तारीख में

कार्य हुआ। जमाबन्दी 2068-71 व खसरा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत ख.न. 81 के नवीन ख.नं. 383 से 390 435, 436, 437, 956/436 कुल रकबा 31.32 हैक्टयर कायम हुए हैं तथा ग्राम इण्डाली से नवघोषित ग्राम लाम्बीडेरी में उक्त भूमि चली गई जिसका सह खातेदारों ने आपसी सहमति से बंटवारा करने पर नामान्तरकरण सं. 81 दि. 17.9.13 के द्वारा अलग अलग खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई जिसके मुताबिक प्रार्थी के हक हिस्से में ख.नं. 383, 388, 389, 390, 1072/387 कुल रकबा 6.18 है. आयी जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। पारिवारिक बंटवारे में ख.न. 388 तक ही रास्ता रखा गया था क्योंकि इससे आगे सम्पूर्ण प्रार्थी की ही भूमि होने से रास्ते की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन बिना किसी आदेश के ख.न. 388 व 390 के पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण ख.न. 1072/387 कायम करते हुए किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज कर दी जो गलत है। तहसीलदार के जवाब के अनुसार भी ख.न. 1072/387 रास्ता नहीं है। भू.अ. निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के मुताबिक ख.नं. 1072/387 रास्ता नहीं है मौके पर खेती की हुई होना बताया है तथा ख.न. 1072/387 रकबा 0.07 हैक्टयर भूमि ख.न. 388, 390 में शामिल होकर एक ही चक में होना बताया है। रिकार्ड से भी प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र साबित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम लाम्बी डेरी के खसरा नम्बर 1072/387 रकबा 0.07 हैक्टयर भूमि गै.मु. रास्ते के स्थान पर बारानी-3 दर्ज की जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। मालिक निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। यह आदेश आज सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नावां